राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1436/2022

रतनलाल पुत्र श्री काशी राम प्रजापत, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 15, सोनी नर्सिंग होम के पास, राजगढ़, जिला चूरू।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर के माध्यम से।

2. रजिस्ट्रार परीक्षा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री अमित जिंदल

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री ए.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ

श्री विष्णु कांत शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

निर्णय

02/03/2022

रिपोर्टेबल

(अनूप कुमार ढंड, न्यायमूर्ति)

याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है: -

"अतः, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता की इस रिट याचिका को उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा अनुमति दी जाए और

स्वीकार किया जाए;

(i) प्रत्यर्थीगण को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की श्रेणी के लिए अलग कट ऑफ अंक घोषित करने का निर्देश दिया;

(ii) प्रत्यर्थीगण को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की श्रेणी के लिए अलग-अलग कट ऑफ अंक घोषित करने के बाद संशोधित परिणाम घोषित करने के लिए निर्देशित किया जाए और उन्हें बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों की श्रेणी के सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के लिए भी निर्देशित किया जाए;

(iii) कोई अन्य उचित आदेश, या निर्देश जो माननीय न्यायालय अपीलार्थी के पक्ष में उचित और उचित समझे, उसे भी पारित किया जाए।

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा सिविल न्यायाधीश कैडर के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 22.07.2021 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। वर्ष 2020 के लिए कुल 89 पद विज्ञापित किए गए थे, जिनमें से 4 पद बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित थे और वर्ष 2021 के लिए 31 पद विज्ञापित किए गए थे, जिनमें से एक पद विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की इस श्रेणी के लिए आरक्षित था। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है कि बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण क्षैतिज होगा अर्थात उनके चयन पर श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिक पिछड़ा वर्ग/आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए, उन्हें क्रमशः ऐसी श्रेणी में एकीकृत किया जाएगा। इस प्रकार विज्ञापन में विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को सामान्य/महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस से अलग श्रेणी में रखने की कल्पना नहीं की गई थी और क्षैतिज आरक्षण के आदेश के अनुसार तार्किक रूप से ऐसा नहीं किया गया था।

चयन योजना में प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की परिकल्पना की गई है। विज्ञापन के खंड 15(1) के अनुसार:- सिविल न्यायाधीश के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी अर्थात प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार द्वारा

प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा। विज्ञापन के खंड 15(2) के अनुसार;- मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या (श्रेणी-वार) से पंद्रह गुना होगी, लेकिन उक्त सीमा में वे सभी उम्मीदवार होंगे जो समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं अंतिम कट-ऑफ के अंकों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा।

उपरोक्त विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने बेंचमार्क विकलांगता के साथ अन्य पिछड़ा गैर-क्रीमी लेयर की श्रेणी के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन जमा किया और उसने 28.11.2021 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 11.01.2022 को बेंचमार्क विकलांगताओं वाले विशेष रूप से सक्षम उम्मीदवारों के अलावा, विज्ञापन में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के कट-ऑफ अंकों के साथ घोषित किया गया था।

प्रत्यर्थीगण की ऐसी कार्रवाई से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की इस श्रेणी के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक घोषित करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जहां विज्ञापन में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग रिक्तियों का विज्ञापन किया गया है, वहीं प्रत्यर्थीगण पर इस श्रेणी के लिए अलग कट-ऑफ अंक जारी करने की विधिक बाध्यता है। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रत्यर्थीगण की ऐसी निष्क्रियता राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (संक्षेप में "2010 के नियम") का उल्लंघन है और इसने भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 के तहत विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 2010 के नियमों के तहत, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग कट-ऑफ अंक जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रक्रिया 2010 के नियमों के अनुसार सख्ती से की गई है, अतः, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि नियमों के तहत विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रकृति में क्षैतिज था जो कि विज्ञापन

से ही स्पष्ट है, अतः, इस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अलग कट-ऑफ अंक घोषित करने के लिए याचिकाकर्ता का आग्रह मान्य नहीं है। कानून की नजर. अधिवक्ता ने आगे कहा कि चूंकि प्रारंभिक परीक्षा विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की एक प्रक्रिया है, अन्यथा यह चुनौती पूरी तरह से गलत है।

अपने तर्कों के समर्थन में, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने **खंडपीठ सिविल विशेष अपील संख्या 445/2004 (हिमांशु कछवाहा बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य) दिनांक 16.08.2011 को निर्णय एवं खंडपीठ सिविल विशेष अपील संख्या 881/2002 (भुवनेश्वर सिंह बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य) 16.08.2011 को निर्णित**, मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णयों पर भरोसा जताया है जिसमें माननीय न्यायालय ने माना कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम कड़ाई से निर्धारित नियमों के अनुसार ही घोषित किये गये हैं। नियम और चूंकि विशेष रूप से विकलांग श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आधार पर निर्धारित किया गया है, जैसाकि विज्ञापन में भी दर्शाया गया है, अतः, एक अलग श्रेणी नहीं हो सकती है जिसके लिए कट-ऑफ अंक हैं घोषित किया जाना आवश्यक है। अंत में, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय उठाए गए मुद्दे के आधार पर नियमों और उसके बाद स्थापित विज्ञापन की रूपरेखा के संबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुसार की गई है।

हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों का विश्लेषण भी किया है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि सिविल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रत्यर्थीगण द्वारा 2010 के नियमों के अनुसार की गई है। 2010 के नियमों का नियम 10 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांग व्यक्ति और महिला उम्मीदवार के लिए रिक्तियों के आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। नियम 10(4) सेवा में भर्ती में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित है, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राज्य के नियमों के अनुसार होगा।

2010 के नियमों का नियम 20 परीक्षा और पाठ्यक्रम की योजना से संबंधित है। 2010 के नियमों के नियम 20(1) के अनुसार, सिविल न्यायाधीश के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा भर्ती प्राधिकरण द्वारा दो चरणों में आयोजित की जाएगी अर्थात प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा अनुसूची-IVमें निर्दिष्ट योजना के अनुसार। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनकी अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा। 2010 के नियमों के नियम 20 (2) में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या वर्ष में भरी जाने वाली कुल रिक्तियों (श्रेणी-वार) की संख्या से पंद्रह गुना होगी, लेकिन उक्त सीमा में वे सभी उम्मीदवार होंगे किसी भी निचली श्रेणी के लिए भर्ती प्राधिकारी द्वारा तय किए गए समान प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

विज्ञापन का खंड 15 उपरोक्त नियमों की प्रतिकृति है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण की अवधारणा के निर्णायक असर को देखते हुए, **इंद्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, 1992 सप्ल (3) एससीसी 215,** में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय के पैराग्राफ 812 का उल्लेख करना उचित होगा, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "812._हमारी यह भी राय है कि 50% का यह नियम केवल अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण पर लागू होता है। इस समय थोड़ा स्पष्टीकरण आवश्यक है: सभी आरक्षण एक ही प्रकृति के नहीं हैं। आरक्षण दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें सुविधा के लिए 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' और 'क्षैतिज आरक्षण' कहा जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (अनुच्छेद 16(4) के तहत) के पक्ष में आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जा सकता है, जबकि शारीरिक रूप से विकलांगों (अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत) के पक्ष में आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जा सकता है। क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षणों में कटौती करता है- जिसे इंटरलॉकिंग आरक्षण कहा जाता है। अधिक सटीक होने के लिए, मान लीजिए कि 3% रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित हैं; यह अनुच्छेद 16 के खंड (1) से संबंधित आरक्षण होगा। इस कोटा के तहत चयनित

व्यक्तियों को उचित श्रेणी में रखा जाएगा, यदि वह एससी श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस कोटा में रखा जाएगा, इसी प्रकार, यदि वह खुली प्रतियोगिता (ओसी) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जाएगा। इन क्षैतिज आरक्षणों के प्रावधान के बाद भी, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत वही रहता है और रहना भी चाहिए। कई राज्यों में इस तरह से आरक्षण दिया जाता है और उस प्रक्रिया को जारी न रखने का कोई कारण नहीं है।"

इस याचिका में शामिल विवाद अब खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इस न्यायालय की खंडपीठ ने 16.05.2014 को **विक्रम सिंह चौहान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,** के मामले में इसका निर्णय इस प्रकार किया है:-

"उपरोक्त पाठ को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत है और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में वर्गीकृत है, जबकि शारीरिक रूप से विकलांगों के पक्ष में आरक्षण उम्मीदवार संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत हैं और क्षैतिज आरक्षण के रूप में संदर्भित हैं। उन्होंने माना कि क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण में कटौती करता है और इस प्रकार इसे इंटर-लॉकिंग आरक्षण के रूप में माना जाता है। यह स्पष्ट किया गया था कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में रिक्तियों का 3% आरक्षण अनुच्छेद 16 (1) से संबंधित होगा और इस कोटा के तहत चयनित व्यक्तियों को उचित श्रेणी में रखा जाएगा अर्थात यदि वह एससी श्रेणी से संबंधित है। आवश्यक समायोजन करके उस कोटा में रखा जाएगा और इसी प्रकार, यदि वह खुली प्रतिस्पर्धा (ओसी) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि इन क्षैतिज आरक्षणों को प्रदान करने के बाद, ओबीसी श्रेणी के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत वही रहना चाहिए।

उपरोक्त आधिकारिक न्यायिक आदेश इस प्रकार स्पष्ट रूप से इन दो

प्रकार के आरक्षणों और उनके परिणाम को अलग करता है। स्पष्ट रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को यदि आरक्षित रिक्तियों के उनके कोटे के विरुद्ध चुना जाता है, तो अंततः उन्हें उपयुक्त श्रेणी अर्थात एससी/एसटी/सामान्य/महिला में रखा जाएगा और उन श्रेणियों में समाहित कर लिया जाएगा, इतना कि आरक्षण का प्रतिशत पिछड़ों के पक्ष में होगा। नागरिकों का वर्ग अपरिवर्तित रहता है।

इस न्यायालय की एकलपीठ ने हिमांशु कछवाहा और अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य (2004(5) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) 243) (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 830/2004 और 384/2004 पर 16.3.2004 को निर्णय लिया गया) को याचिकाकर्तागण की शिकायत के साथ जब्त कर लिया गया था, हालांकि, यह राजस्थान के नियम 15 के तहत आवश्यक था। राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के तहत संबंधित वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों (श्रेणीवार) की कुल अनुमानित संख्या से पंद्रह गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं था शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए किया गया। इस दलील पर आधारित चुनौती को इंद्रा साहनी (सुप्रा.) में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए अपास्त कर दिया गया था। भुवनेश्वर सिंह (सुप्रा.) मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ की इस टिप्पणी पर भी भरोसा किया गया था कि कानून इस बात की अनुमति नहीं देता है कि आरक्षण के उद्देश्य के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग श्रेणी होनी चाहिए। **छतर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य ((1996) 11 एससीसी 742) में प्रकाशित** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय। हिमांशु कछवाहा (सुप्रा.) के इस कथन को खंडपीठ सिविल विशेष अपील संख्या 445/2004 (16.8.2011 को निर्णय लिया गया) में बरकरार रखा गया था, जिसमें इंद्रा साहनी (सुप्रा.) और भुवनेश्वर सिंह (सुप्रा.) के निर्णयों से अन्य बातों को भी शामिल किया

गया था।

भुवनेश्वर सिंह (सुप्रा.) में अपीलार्थी की दलील थी कि प्रत्यर्थी-आयोग को अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के मामले में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए एक अलग श्रेणी सूची तैयार करने की आवश्यकता थी, को मुख्य रूप से इंद्रा साहनी (सुप्रा.) में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए फिर से अपास्त कर दिया गया था।

छतर सिंह (सुप्रा.) में, जिसमें राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1962 के तहत प्रशासनिक और अधीनस्थ सेवाओं में पदों पर भर्ती शामिल थी, इसके नियम 13 की शक्तियों को चुनौती देने के अलावा, एक विवाद उठाया गया था। विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग सूची तैयार करने की आवश्यकता थी जिनके लिए भर्ती चल रही थी। नियमों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना विचार व्यक्त किया कि संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों के संबंध में अलग-अलग सूची प्रकाशित करने की आवश्यकता थी ताकि उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित से 15 गुना हो सके या प्रत्याशित पदों/रिक्तियों का विवरण दें ताकि वे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकें। न केवल प्रासंगिक तथ्यों से पता चलता है कि असंतोष का मुख्य पहलू ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कम कट-ऑफ अंक निर्धारित करने की आवश्यकता से संबंधित था, बल्कि इंद्रा साहनी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय भी उल्लेखनीय है (सुप्रा.) जिसे निर्णय के दौरान शामिल नहीं किया गया, विशेष रूप से शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के। अतः, हमारी समझ से, यह निर्णय वर्तमान में शामिल मुद्दे के संदर्भ में याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

यहां ऊपर उल्लिखित सुसंगत और निर्धारक न्यायिक घोषणाओं के सामने और अधिक महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान बहस पर इंद्र साहनी (सुप्रा.) में निर्णायक व्याख्या पर आधारित, हमारी निर्विवाद राय है कि न्यायिक

शक्ति के प्रयोग में कोई हस्तक्षेप नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समीक्षा आवश्यक है। याचिका में कहा गया है कि क्षैतिज आरक्षण का लाभ उठाने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंक घोषित कर दिए गए हैं और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए ऐसा करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य होने के अलावा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 16 में निहित संवैधानिक योजना के संदर्भ में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण को अलग करने वाली इंद्रा साहनी (सुप्रा.) की जोरदार और स्पष्ट व्याख्या और क्षैतिज आरक्षण का लाभ उठाने वालों के परिणामी समायोजन को ध्यान में रखते हुए, संबंधित श्रेणियां अर्थात सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी में हमारे साथ भारिता कम न करें। हमें तत्काल याचिका में दी गई चुनौती को बरकरार रखने के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला।"

इंद्रा साहनी (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय के अनुसार, विशेष रूप से विकलांग (शारीरिक रूप से अक्षम) व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत क्षैतिज आरक्षण है। इस कोटा के तहत चयनित व्यक्तियों को उचित श्रेणी में रखा जाएगा, यदि वह एससी श्रेणी से है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस कोटा में रखा जाएगा, इसी प्रकार, यदि वह ओपन श्रेणी से है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जाएगा।

2010 के नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए कट-ऑफ घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा केवल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की एक प्रक्रिया है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम सख्ती से नियमों के अनुसार और क्षैतिज आधार पर आरक्षण की योजना के अनुसार घोषित किया गया है। न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय नियमों की रूपरेखा और विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप नहीं कर सका।

इस न्यायालय की सुविचारित राय में, इसमें शामिल मुद्दा अब पुनः एकीकृत नहीं रह गया है और विक्रम सिंह चौहान (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से तय हो गया है, उसी मुद्दे की दोबारा जांच करना आवश्यक नहीं हो सकता है इस याचिका में आग्रह किया गया है. विक्रम सिंह चौहान (सुप्रा.) के मामले में तय किया गया अनुपात इस

मामले के तथ्यों पर पूरी ताकत से लागू होता है। परिणामस्वरूप, हमें इस याचिका में कोई तथ्य नहीं मिला।

अतः, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे अपास्त किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति **(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति**

Ritu/39

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।